रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1150] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2015/ज्येष्ठ 11,1937
No. 1150] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2015/JYAISTHA 11, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2015

का.आ. 1450(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित की जाती है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, उन्हें, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार के विचार किए जाने के लिए, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

पाखल **वन्यजीव अभयारण्य** (जिसे इसके बाद अभयारण्य कहा गया है) 17°42.5′ और 18°10′ उत्तरी अक्षांतर तथा 79°55′ और 80°10′ पूर्वी देशांतर के बीच में अवस्थित है और जो मुख्यतः तेलंगाना के वारंगल (दक्षिणी) प्रभाग और वारंगल (उत्तरी) प्रभाग के भीतर आता है और यह क्रमशः इंटरनगरम वन्य जीव अभयारण्य और किन्नरासनी वन्य जीव अभयारण्य (खम्म जिले) ये पन्द्रह और तीस किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है ;

और, तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य के प्राचीनतम अभयारण्यों में से पाखल वन्य जीव अभयारण्य एक है, अभयारण्य का नामकरण पाखल झील (वेटलैंड) के नाम पर किया गया है, जो स्थानीय लोगों के लिए सिंचाई का स्रोत है और ऐतिहासिक पैतृक संपत्ति से भी भरपूर है, इसका सन्निनिर्माण 1323 ई0 के दौरान काकातिय राजवंश के राजा प्रताप रूद्र द्वारा कराया गया था ;

और, पाखल वन्य जीव अभयारण्य '6बी' जैव–भौगोलिक क्षेत्र, अर्थात् डिकैन प्रायद्वीप (6) के प्रमुख पठार में आता है और गोदावरी घाटी के वन के विस्तृत भू–भाग का एक भाग भी है, जो उसके उत्तर पूर्व में इंटरनगरम वन्य जीव अभयारण्य और उस अभयारण्य के दक्षिण पूर्व में किन्नेरासानी वन्य जीव अभयारण्य में समाहित है ;

और, उस अभयारण्य में सामान्यतः टर्मिनेलीय टोमेनटोसा, एनोजेइसस लेटीफोलिया, बोस्वेलिया सेरैटा, डायस्पायरस मेकैयनोक्साइलेगन, स्टरक्यूलीया यूरेन्स, मधुका इंडिका, डैलबेरजिया पैंटिकुलेटा, भोडिना ओडियर, जैलिया डोबैब्रिफोरमिस, क्लोरोक्जाइलोन स्वाटेनिया, लेजरस्ट्रोमिया पैरवीफ्लोरा, क्लेक्टैनथस कोलिनस, सोयमिडा फेब्रीफ्यूगा, टेरमिनैलिया बैवेरिका टर्मिनैलिया चेव्यूबा, अकेशीया सुबद्रा, अभयारण्य के चिंटागुडा ब्लॉक्स में विशेष रूप से विस्तृत बैम्बू ब्रैक्स जिसमे डेंड्रोकैलेमस एट्रीक्टस और वैम्बुसा उरण्डीनैसी भी हैं ;

और, पाखल वन्यजीव अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के संकटापन्न जानवर, जैसे बाघ, भारतीय गौर, तेंदुआ, तेंदुआ बिल्ली, रीछ, लकड़बग्घा, जंगली कुत्ते, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, सांभर, चीता, चौसिंघा (चार सींग वाले) हिरन, चिंकारा, नीलगाय, अजगर, विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी शरण लिए हुए हैं ;

और, पाखल वन्यजीव अभयारण्य दो जल निकास पद्धतियों के लिए जलागमन का भाग बनाता है, एक जल निकास पद्धति लखनावारम झील से होकर गोदावरी नदी में मिलता है और दूसरा पाखल झील और पाखल नदी (खम्माम जिले की मुन्नेरू नदी) से होते हुए कृष्णा नदी में मिलता है ;

और अब इस अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसकी सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में पाखल वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितकीय संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2), के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेलंगाना राज्य में पाखल वन्य जीव अभयारण्य की सीमा से 0 से 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को, पाखल वन्य जीव अभयारण्य 'पारिस्थितिक संवेदी जोन' (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं, अर्थात्:

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन तेलंगाना के वारंगल जिले में 965.71 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है और जिसके अंतर्गत वारंगल जिले में 11 मंडल अर्थात् मुलुगू, नेलाबेल्ली, नरसंपत, कानापुर, गुदूर, कोयागुडा, चेन्नारावपेट, महबुबाद, केसमुदरम, गोबिंदरावपेट, तडवई के 108 गांव सम्मिलित हैं ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन पाखल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से शून्य किलोमीटर से दस किलोमीटर तक के क्षेत्र में है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन उपाबंध I के रूप में संलग्न है और गांवो की सूची उपाबंध II में दी गई है ।

(4) अंक्षाश और देशांतर रेखा के साथ–साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र उपाबंध III के रूप में इस अधिसूचना के साथ संलग्न है ।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना**–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय लोगों से आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार तैयार कि जायेगी।

(2) उक्त योजना को राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों यदि कोई हो के अनुसार तैयार की जायेगी ।

(4) आंचलिक महायोजना संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन ;
(iii) नगर विकास ;
(iv) पर्यटन ;
(v) नगरपालिक ;
(vi) राजस्व ;
(vii) कृषि ;
(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
(ix) सिंचाई, और
(x) लोक निर्माण विभाग

(4) जोनल मास्टर प्लान में वन विरहित क्षेत्रों का प्रत्यास्थापन, विद्यमान जलाशयों का संरक्षण, जल संग्रहण क्षेत्रों का प्रबंधन, जल विभाजन का प्रबंधन, भूजल प्रबंध, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकता और ऐसे पारिस्थितिकी तथा पर्यावरणीय अन्य पहलू, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, के लिए उपबंध किया जाएगा।

(5) जोनल मास्टर प्लान में, आमोद प्रमोद संबंधी मूल्य, वनों के प्रकार और रूप, कृषि क्षेत्र, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र, उद्यान क्षेत्र, बगीचे, लेख और अन्य जल निकायों सहित सभी विद्यमान और प्रस्तावित ग्राम बंदोबस्त, नगरीय बंदोबस्त, पूजा स्थलों, सांस्कृतिक मूल्य के क्षेत्रों को सीमांकित किया जाएगा ।

(6) जोनल मास्टर प्लान में स्थानीय समुदायों की जीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण विकास को इस प्रकार सुनिश्चित किया जाए कि पारिस्थतिकी संवेदी जोन में विकास को सुनिश्चित किया जा सके ।

(7) जोनल मास्टर प्लान में अधिसूचना के पैरा 4 में दिए गए अनुसार इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन मानीटर करने के कार्यों का संपादन करने के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए मानीटरी करने वाली समिति के लिए संदर्भ दस्तावेज होगा ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय**--राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग**--पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आमोद प्रमोदन के प्रयोजन के लिए अभिनिश्चित वनों, उद्यान--कृशि क्षेत्रों, कृशि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्य या उद्योग संबंधी विकास के क्रियाकलापों हेतु उपयोग या परिवर्तन नहीं किया जाएगा :

परन्तु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृशि भूमि का संपरिवर्तन, पैरा 5 के अधीन मानीटरी समिति की और राज्य सरकार के सिफारिश पर स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और जिसके अंतर्गत पैरा 4 की

सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिश्ट मद संख्या 11, 15, 23, 24 और 27 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगें अर्थात :–

(i) वर्षा जल संचय,
(ii) कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण शिल्पकार आदि भी हैं,
(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,
(iv) सड़कों का विस्तारण, और
(v) सन्निर्माण क्रियाकलाप से संबंधित कृशि भूमि का संपरिवर्तन अनुज्ञात हो सकेगा :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू–अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परन्तु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू–उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नही होगा ।

परन्तु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनउत्पादक कृषि क्षेत्रो मे पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएगें ।

(2) **प्राकृतिक स्रोतों** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन**–(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार जिसमें जोनल मास्टर प्लान का भागरूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, तेलंगाना सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, तेलंगाना सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिर्माण अभ्यारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे ।

परंतु राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 1 किलोमीटर के परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसार्टों की स्थापना को पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व निश्चित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में और पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत**--पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा ।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थलों—पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) ध्वनि प्रदूषण—पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण**--पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन

और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक ईकाइयां –

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को सिवाए विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, **1986 (1986 का 29) के** उपबंधों तथा उनके तहत बनाये गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	(क) नए खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खदानों और उनको तोड़ने की इकाइयां गृहों के संनिमार्ण या मरम्मत के लिए पृथ्वी की खुदाई या देशी टाइलों के विनिमार्ण या व्यैक्तिक उपायों के लिए आवासन के लिए ईंटों के संदर्भ में वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय प्रतिसिद्ध होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वथा होंगे ।
2.	आरा मिलों की स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए या प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	नए वृहत जल विद्युत परियोजना और सिचाई परियोजनाओं की स्थापना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्राकृतिक जलाशयों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान या गर्म वायु गुब्बारों द्वारा अभ्यारण क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

9.	नए काष्ठ आधारित उपयोग	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार तब तक बने रहेंगे । जब तक उन्हें लागू नियमो के तहत प्रतिषिद्ध न किया जाए।
विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना	संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को अनुज्ञात नही किया जाएगा सिवाय पारिस्थितिकी के अनुकूल पर्यटन कार्यकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी अधिभोग संबंधी आवास के ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप	(क) संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । (ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण कार्यकलापों को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम पर रखा जाएगा । (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे ।
12.	वृक्षों की कटाई	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्ययोजना अभिवर्णनों का अनुसरण किया जाएगा ।
13.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है	(क) केवल भूमि अधिभोगी के वास्तविक कृषि उपयोग और घरेलू खपत के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूजल के निष्कर्षण जिसमें वह मात्रा भी है जिसे निष्कर्षित किया जा सकता है के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी भी स्रोत से जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे ।
14.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण	(i) भूमिगत केबलों को अनुज्ञात किया जा सकेगा ।
15.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय लागू किए गए अनुसार किए जाएंगे ।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
18.	विदेशी प्रजातियों को लाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	प्राकृतिक जलाशयों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा ।
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग	पारिस्थितिकीय संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि, या कृषि आधारित उद्योग देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं अनुज्ञात होगे ।
23.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	वायु और यानिक प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	दुकानदारों द्वारा पोलिथीन बैगों का उपयोग	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
अनुज्ञात कार्यकलाप		
27.	स्थानीय समुदायों द्वारा लाई जा रही कृषि और वागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन	उनमें से कुछ गतिविधियों का अत्यधिक विस्तार आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जायेगा।
28.	वर्षा जल संचयन	सक्रिय रूप से वढावा दिया जाए ।
29.	जैविक खेती	सक्रिय रूप से वढावा दिया जाए ।
30.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना	सक्रिय रूप से वढावा दिया जाए ।
31.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	सक्रिय रूप से वढावा दिया जाए ।
32.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग	जैव गैस, सौर प्रकाश आदि को वढावा देना होगा ।

5. **मानीटरी समिति.**—(1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन से संबंधित जिला कलेक्टर – अध्यक्ष;

(ख)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का तेलंगाना सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि	- सदस्य;
(ग)	परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में तेलंगाना सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय का नामित एक विशेषज्ञ	-सदस्य;
(घ)	क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	-सदस्य;
(ङ)	क्षेत्र का वरिष्ठ शहरी योजनाकार	-सदस्य;
(च)	संभागीय वन अधिकारी (संरक्षित क्षेत्र का इंचार्ज)	सदस्य सचिव;

निर्देश का निबंधन

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा उपबंधित प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन यथाउपबंधित प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलेक्टर या वन्यजीव अभयारण्य का प्रभारी प्रभागीय वन अधिकारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष की 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक उपाबंध 4 में दिए गए रूप विधान के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

6. केंद्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय–समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा ।

7. इस अधिसूचना में यथाउपबंधित सभी उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों और विषयवस्तु से संबंधित विधि का कोई अन्य न्यायालय द्वारा यदि कोई पारित किया गया है, विद्यमान आदेशों के अध्यधीन हैं ।

[फा. सं. 25/14/2014 –आरई/ईएसजेड]

डा. जी. वी. सुब्रह्मण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन कर सीमा वर्णन :

- स्थल सं. 01 से 28 तक पूर्व दिशा में पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन की सीमा है और यह क्षेत्र वारंगल जिला के दक्षिण प्रभाग में आता है।
- स्थल सं. 29 से 36 दक्षिण–पूर्व दिशा में पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन की सीमा है और यह क्षेत्र वारंगल जिला के दक्षिण प्रभाग में आता है ।
- स्थल सं. 49 सं 60 तक वारंगल जिला के दक्षिण दिशा में पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन की सीमा है ।

2421 GI/15-2

- स्थल सं. 61 से 102 तक वारंगल जिला के अभयारण्य के लिए दक्षिण दिशा में पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन की सीमा है ।
- स्थल सं. 103 से 110 तक वारंगल जिला के अभयारण्य के लिए उत्तर–पूर्व दिशा में पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन की सीमा है ।
- स्थल सं. 111 से 130 तक वारंगल जिला के अभयारण्य के लिए उत्तर दिशा में पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन की सीमा है ।

उपाबंध II

पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर आने वाले गांव

क्र. सं.	जिले का नाम	मंडल का नाम	क्र. सं.	गांव का नाम
1	वारंगल	गोविंदरावपीठ	1	बुस्सापुर
			2	कोठागादा
2	वारंगल	मुलुगु	3	अन्नामपल्ली
			4	देवगिरीपटनम
			5	एदलाबोदु
			6	सारंगपल्ली
			7	पंचोटलापल्ली
			8	गंतूरपल्ली
			9	रायानीगुडा
			10	चिन्तालापल्ली
			11	पुलीगुंदम
			12	चिंताकुन्तापल्ली
			13	अनाकन्नागुदेम
			14	पाथीपल्ली
			15	जगन्नागुदेम
			16	कोथुरू
			17	पेगदपल्ली
			18	दब्बागुदेम
			19	सरवापुर
			20	रामचंद्रपुरम
			21	लालागुदेम

			22	पोटलापुर
			23	सुबरारेड्डीपल्ली
			24	मुद्दुनुरपल्ली
			25	केदीशालकुन्दा
			26	चंद्रुथन्दा
			27	रहीमनगर
			28	मनारिंग थन्दा
			29	यापलागद्दा
3	वारंगल	गोल्लाबेल्ली	30	मुदुचेक्कलापल्ली
			31	येराया थन्दा
			32	गोविंदापुर
			33	लक्ष्मी थन्दा
			34	मेदापल्ली
			35	गोल्लापल्ली
			36	रुद्रागुदेम
			37	बुचीरेड्डीपल्ली
			38	शमशाबाद
			39	पदमापुरम
			40	कानारावपीठ
			41	येदनाग्राम
			42	नगराजुपल्ली
			43	ममिदि वीराइहपल्ली
			44	गांधीनगरम
			45	गुंदलापाद
			46	पेदाथन्दा
			47	नरकापीठ
4	वारंगल	नरसामपीठ	48	इतिकालापल्ली
			49	मदनापीठ

			50	कमलापुरम
5	वारंगल	कानापुर	51	अशोकनगर
			52	कानापुर
			53	कोट्टूर
			54	बुदरावपीट
			55	मंगलावारीपीट
			56	अइनापल्ली
			57	धरमारावपीट
			58	पपयापीट
6	वारंगल	गुदुर	59	अयोध्यापुर
			60	नाइकपल्ली
			61	मरीमित्ता
			62	चंद्रागुदेम
			63	पोनुगोदु
			64	गुदुर
			65	लक्ष्मीगुदेम
			66	इपुर गाडा
			67	दुब्बागुदेम
			68	बोल्लेपल्ली
			69	दामरावंछा
			70	जंगु थन्दा
			71	गोविदपुरम
			72	अप्पराजपल्ली
			73	गजुलागट्टू
			74	लक्ष्मीपुरम
			75	बेद्दुगोंडा
			76	कोल्लापुरम

क्र. सं.	जिले का नाम	मंडल का नाम	क्र. सं.	गांव का नाम
			77	मलन्नागुदेम
7	वरंगल	कोठागुदा	78	पुतलाबुपाठी
			79	कामाराम
			80	पोनुगोंदला
			81	दुब्बागुदेम
			82	जंगालपल्ली
			83	गंगाराम
			84	महादेवनीगुदेम
			85	चिंतागुदेम
			86	बयुरगोंडा
			88	गंगाराम
			89	पनदेम
			90	रामरापादु
			91	ममिदिगुदम
			92	गुरिजालामोट्टु
8	वारंगल	तदवाइ	93	लिंगाला
9	वारंगल	चेन्नारावपीट	94	तिम्मराइपीट
			95	बेचेरूयु
			99	जिल्लेल्लागुदेम
			100	संदरालागुदेम
			101	कोमुगूदम
			102	लक्ष्मीपुरम
			103	जंगिलिगोंडा
			104	कोथुर
10	वारंगल	केसामुदरम	105	नरसिमहुलागुदेम
			106	पेनुकोंडा

			107	बेरिवाडा
			108	तीगालावेनि

उपाबंध III

अक्षांश और देशांतर रेखा के साथ ही साथ पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन की सीमा का मानचित्र

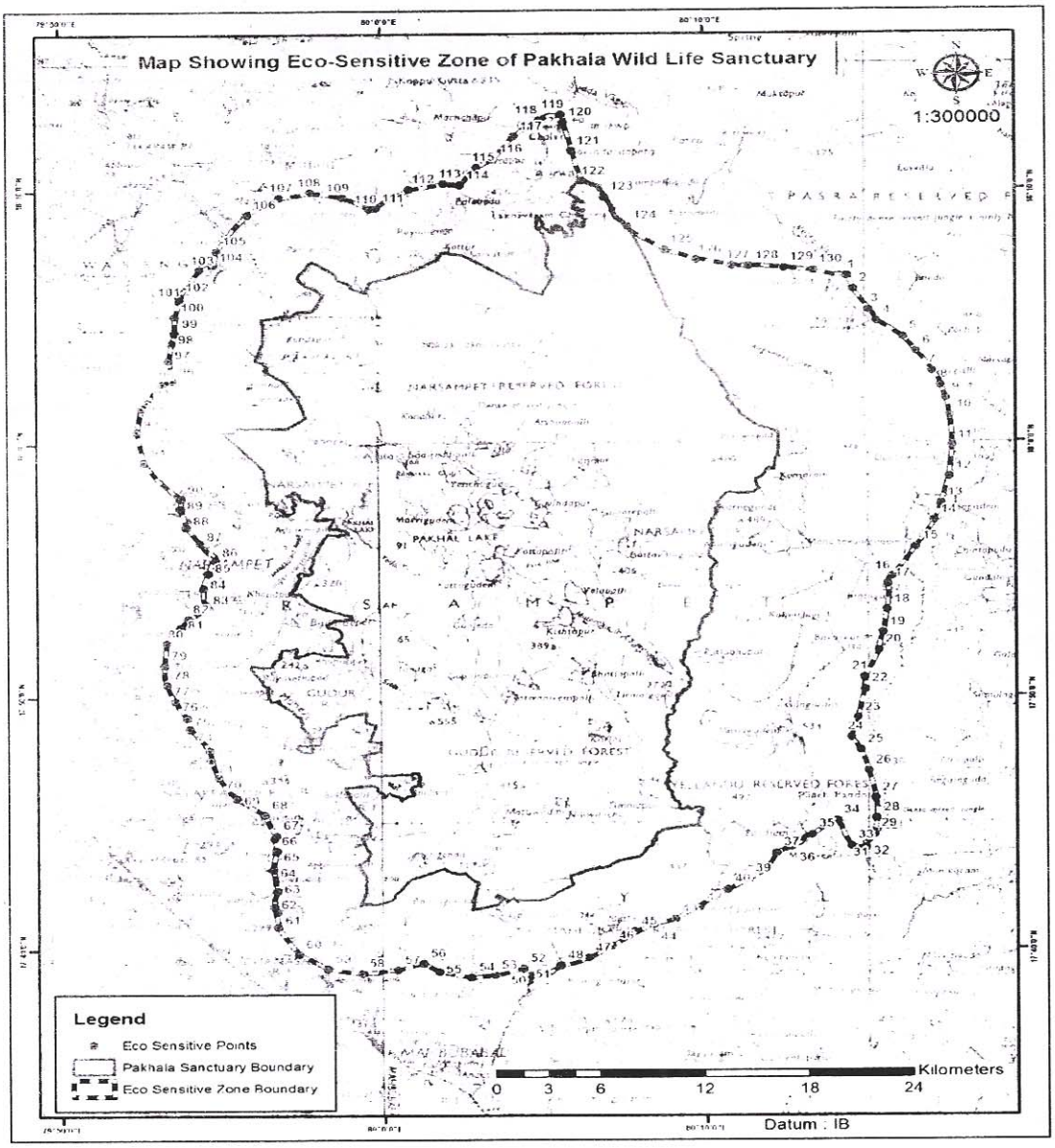

...उपाबंध III

आई डी	देशांतर	अक्षांश	आई डी	देशांतर	अक्षांश	आई डी	देशांतर	अक्षांश
1	80.24124	18.10985	55	80.02838	17.65190	97	79.89000	18.05548
2	80.24424	18.10102	56	80.02008	17.65746	98	79.89158	18.06634
3	80.25219	18.08743	57	80.00684	17.65323	99	79.89353	18.07340
4	80.25625	18.08002	58	79.98831	17.65093	100	79.89335	18.08470
5	80.26984	18.06925	59	79.97066	17.65393	101	79.89617	18.09440
6	80.27672	18.05963	60	79.95583	17.66364	102	79.89582	18.09767
7	80.28519	18.04675	61	79.94524	17.68217	103	79.90623	18.11514
8	80.28961	18.03704	62	79.94312	17.69532	104	79.91312	18.11867
9	80.29208	18.02830	63	79.94489	17.70574	105	79.91488	18.12750
10	80.29420	18.01701	64	79.94277	17.71950	106	79.93077	18.15124
11	80.29525	17.99680	65	79.94454	17.73212	107	79.94736	18.16218
12	80.29384	17.97703	66	79.94348	17.73989	108	79.96342	18.16536
13	80.28943	17.95946	67	79.94436	17.74219	109	79.97984	18.16201
14	80.28590	17.94817	68	79.93854	17.75560	110	79.99378	18.15442
15	80.27637	17.93114	69	79.92406	17.76646	111	79.99714	18.15512
16	80.26366	17.91154	70	79.91488	17.78005	112	80.01443	18.16730
17	80.26172	17.90651	71	79.91082	17.79170	113	80.03208	18.17092
18	80.26119	17.88957	72	79.91012	17.79779	114	80.04109	18.16986
19	80.25889	17.87492	73	79.90553	17.80626	115	80.04956	18.18169
20	80.25695	17.86309	74	79.90006	17.81191	116	80.05856	18.18716
21	80.24936	17.84527	75	79.89900	17.81950	117	80.06933	18.20207
22	80.24972	17.83732	76	79.89264	17.83079	118	80.08221	18.21213
23	80.24601	17.81808	77	79.88858	17.84165	119	80.09386	18.21602
24	80.24248	17.80511	78	79.88858	17.84165	120	80.09492	18.21090
25	80.24742	17.79681	79	79.88717	17.85453	121	80.09898	18.19219
26	80.25148	17.78314	80	79.88841	17.86901	122	80.10427	18.17224
27	80.25483	17.76522	81	79.89582	17.87968	123	80.11275	18.15953
28	80.25536	17.75225	82	79.89970	17.88551	124	80.12546	18.14197
29	80.25413	17.74183	83	79.90888	17.89222	125	80.14734	18.12732

30	80.25148	17.74148	84	79.90747	17.90545	126	80.16323	18.12062
31	80.25095	17.73830	85	79.90976	17.91507	127	80.18176	18.11673
32	80.24989	17.73318	86	79.91347	17.92372	128	80.19059	18.11638
33	80.24213	17.73424	87	79.90571	17.93520	129	80.20859	18.11532
34	80.23489	17.75083	88	79.89900	17.94543	130	80.22359	18.11355
35	80.22200	17.74183	89	79.89582	17.95788			
36	80.21177	17.73407	90	79.89600	17.96405			
49	80.08451	17.65049	91	79.87711	17.98832			
50	80.07709	17.64978	92	79.87340	18.00809			
.51	80.07462	17.64590	93	79.87588	18.02380			
52	80.07233	17.65402	94	79.87888	18.02760			
53	80.05715	17.64978	95	79.88682	18.03978			
54	80.04532	17.64820	96	79.89194	18.04225			

उपाबंध IV

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा – पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख

2. बैठकों का कार्यवृत्त - मुख्य बिंदुओं का उल्लेख करें न कि उपयुक्त बिंदुओं का पृथक उपाबंध के रूप में बैठक का कार्यवृत्त संलग्न

3. पर्यटन मास्टर प्लान सहित जोनल मास्टर प्लान तैयार करने की प्रास्थिति

4. भू अभिलेख को देखने से प्रकट गलतियों की परिशुद्धि के मामलों का संक्षिप्त विवरण उपाबंध के रूप में ब्यौरे संलग्न करें।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप के लिए संवीक्षित मामलों का संक्षिप्त विवरण उपाबंध के रूप में ब्यौरे संलग्न करें।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत न आने वाले क्रियाकलाप के लिए संवीक्षित मामलों का संक्षिप्त विवरण उपाबंध के रूप में ब्यौरे संलग्न करें।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज परिवादों का संक्षिप्त विवरण

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2015

S.O. 1450(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry

of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Pakhal Wildlife Sanctuary is located between latitude 17° 42.5' and 18° 10' North and between longitude 79° 55' and 80° 10' East and mostly falls within Warangal (South) Division and Warangal (North) Division in Telangana and it is located at a distance of fifteen and thirty kilometers from Eturnagaram Wildlife Sanctuary and Kinnerasani Wildlife Sanctuary (Khammam Dist.) respectively;

AND WHEREAS, Pakhal Wildlife Sanctuary is one of the oldest wildlife sanctuaries in the erstwhile state of united Andhra Pradesh and the Sanctuary is named after the Pakhal lake (wetland), which is the source of irrigation for local people and also has rich historical heritage as it was constructed by King Pratapa Rudra of Kakatiya Dynasty during 1323 AD.

AND WHEREAS, Pakhal Wildlife Sanctuary falls in the '6B' Bio-geographical region i.e., Central plateau of Deccan peninsula (6) and is also a part of the large tract of the Godavari valley forests which comprise of Eturnagaram Wildlife Sanctuary in its North East and Kinnerasani Wildlife Sanctuary in the South-East of the Sanctuary;

AND WHEREAS, the plant species commonly found in the Sanctuary are : *Terminalia tomentosa, Anogeissus latifolia, Boswellia serrata, Diospyros melanoxylon, Sterculia urens, Maduca indica, Dalbergia panticulata, Odina wodier, Xylia dolabriformis, Chloroxylon swietenia, Lagerstromia parviflora, Cleistanthus collinus, Soymida febrifuga, Terminalia ballerica, Terminalia chebula, Acacia subdra,* extensive bamboo brakes consisting of *Dendrocalamus strictus* and *Bambusa arundinacea* also occur in the Sanctuary especially in Chintaguda blocks.

AND WHEREAS, Pakhal Wildlife Sanctuary harbours many endangered species like Tiger, Indian Gaur, Panther, Leopard cat, Sloth Bear, Hyena, Wild dogs, Wolf, Jackal, Fox, Sambar, Cheetal, Four-horned antelope, Chinkara, Neelgai, Python, Giant Squirrel, and Flying Squirrel;

AND WHEREAS, Pakhal Wildlife Sanctuary forms part of the catchment for two drainage systems, one drainage system joins river Godavari through Lakhnavaram lake and the other joins Krishna River through Pakhal Lake and the Pakhal river (Munneru river in Khammam district);

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Pakhal Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processed in the said Eco-sensitive Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area from 0 to 10 kilometer from the boundary of the Pakhal Wildlife Sanctuary in the State of Telangana as Pakhal Widlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone (hereinafter called as a Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.**-(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of *965.71* square kilometer in Warangal District of Telangana and includes 108 villages of 11 Mandals viz. Mulugu, Nallabelly, Narsampet, Kanapur, Gudur, Kothaguda, Chennaraopet, Mahabubad, Kesamudram, Govindaraopet, Tadvai in Warangal District.

(2) The extent of Eco-sensitive Zone ranges from zero kilometer to ten kilometers from the boundary of Pakhal Wildlife Sanctuary.

(3) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I** and the list of villages are given in **Annexure-II.**

(4) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes is appended with this notification as **Annexure III;**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

2421 GI/15-3

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture,

(ix) State Pollution Control Board,

(x) Irrigation,

(xi) Public Works Department

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for securing livelihood of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee constituted under paragraph 5, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas in such a manner as to regulate development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism.- (a) the activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Telangana in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Telangana.

(c) The activity relating to tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such, as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908(E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time:

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units**

(a) Establishment of new wood based Industries shall not be permitted within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries may continue unless prohibited under any land for the time being in force.

(b) Establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution shall not be permitted within the Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**—All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries shall be permitted in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that the existing wood-based industry may continue unless prohibited under any law for the time being in force.
Regulated Activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities would in conformity and Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.

11	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone construction for bona-fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan. (d) construction activity in the ESZ shall be as per Zonal Master Plan.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona-fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
24	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
25	Use of polythene bags by shopkeepers.	Regulated under applicable laws.
26	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted

5. **Monitoring Committee :-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, the following namely:-

(i)	Concerned District Collector dealing with the Eco-sensitive Zone	–Chairman;
(ii)	One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Telangana for a term of one year in each case	Member
(iii)	one expert in the area of ecology and environment from a reputed institution or university of the state of Telangana to be nominated by the Government of Telangana for a term of one year in each case	Member
(iv)	Regional Officer, State Pollution Control Board	–Member
(v)	Senior Town Planner of the area	–Member
(vi)	Divisional Forest Officer (in charge of Protected Area)	–Member Secretary

Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests Number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests Number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F. No. 25/14/2014-ESZ-RE]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

Annexure I

Boundary description of Eco-Sensitive Zone:

- From Station No. 01 to 28 is the boundary of the Eco-Sensitive Zone in the east direction, and the area falls in South Division of Warangal District.
- From Station No. 29 to 36 is the boundary of the Eco-Sensitive Zone in the Southeast direction, and the area falls in South Division of Warangal District.
- From Station No. 49 to 60 is the boundary of the Eco-Sensitive Zone in the South Direction of Warangal District.

- From Station No. 61 to 102 is the boundary of the Eco-Sensitive Zone in the west direction for the sanctuary of the Warangal District.
- From Station No. 103 to 110 is the boundary of the Eco-Sensitive Zone in the Northwest Direction for the sanctuary of the Warangal District.
- From Station No. 111 to 130 is the boundary of the Eco-Sensitive Zone in the North direction for the sanctuary of the Warangal District.

Annexure II

List of Villages falling within the proposed Eco sensitive Zone

Sl. No.	Name of the District	Name of the Mandal	Sl. No.	Name of the Village
1	Warangal	Govindaraopet	1	Bussapur
			2	Kothagadda
2	Warangal	Mulugu	3	Anampally
			4	Devagiripatnam
			5	Edlabodu
			6	Sarangapally
			7	Panchotlapally
			8	Gunturpally
			9	Rayaniguda
			10	Chintalapally
			11	Puligundam
			12	Chinthakuntapally
			13	Ankannagudem
			14	Pathiipally
			15	Jaggannagudem
			16	Kothuru
			17	Pegadapally
			18	Dubbagudem
			19	Sarwapur
			20	Ramchandrapuram
			21	Lalagudem
			22	Potlapur
			23	Subbareddypally
			24	Muddunurpally
			25	Kodishalkunta
			26	Chandruthanda
			27	Rahimnagar
			28	Mansingh thanda
			29	Yapaladadda
3	Warangal	Nallabelli	30	Muduchekkalapally
			31	Yerraya thanda
			32	Govindapur
			33	Laxmi thanda

			34	Medapally
			35	Gollapally
			36	Rudragudem
				Buchireddipally
				Shamshabad
				Padmapuram
			40	Kanaraopet
			41	Yedanagaram
			42	Nagarajupally
			43	Mamidi Veeraiahpally
			44	Gandhinagaram
			45	Gundlapad
			46	Peddathanda
			47	Narakkapet
4	Warangal	Narsampet	48	Itikalapally
			49	Madannapet
			50	Kamalapuram
5	Warangal	Khanapur	51	Ashoknagar
			52	Khanapur
			53	Kottur
			54	Bhudaraopet
			55	Mangalavaripet
			56	Ainapally
			57	Dharmaraopet
			58	Papayyapet
6	Warangal	Gudur	59	Ayodyapur
			60	Naikpally
			61	Marrimitta
			62	Chandragudem
			63	Ponugodu
			64	Gudur
			65	Laxmigudem
			66	Epur gadda
			67	Dubbagudem
			68	Bollepally
			69	Damaravancha
			70	Jangu thanda
			71	Govindapuram
			72	Apparajpally
			73	Gajulagattu
			74	Laxmipuram

			75	Boddugonda
			76	Kollapuram
			77	Mallannagudem
7	Warangal	Kothaguda	78	Putlabupathi
			79	Kamaram
			80	Ponugondla
			81	Dubbagudem
			82	Jangalpally
			83	Gangaram
			84	Mahadevunigudem
			85	Chintagudem
			86	Bavurgonda
			88	Gangaram
			89	Pandem
			90	Ramarapadu
			91	Manidigudem
			92	Gurijalamottu
8	Warangal	Tadvai	93	Lingala
9	Warangal	Chennaraopet	94	Timmaraipet
			95	Bocheruvu
			99	Jillellagudem
			100	Sandralagudem
			101	Kommugudem
			102	Laxmipuram
			103	Jangiligonda
			104	Kothur
10	Warangal	Kesamudram	105	Narsimhulagudem
			106	Penukonda
			107	Beriwada
			108	Teegalaveni

Annexure III

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes

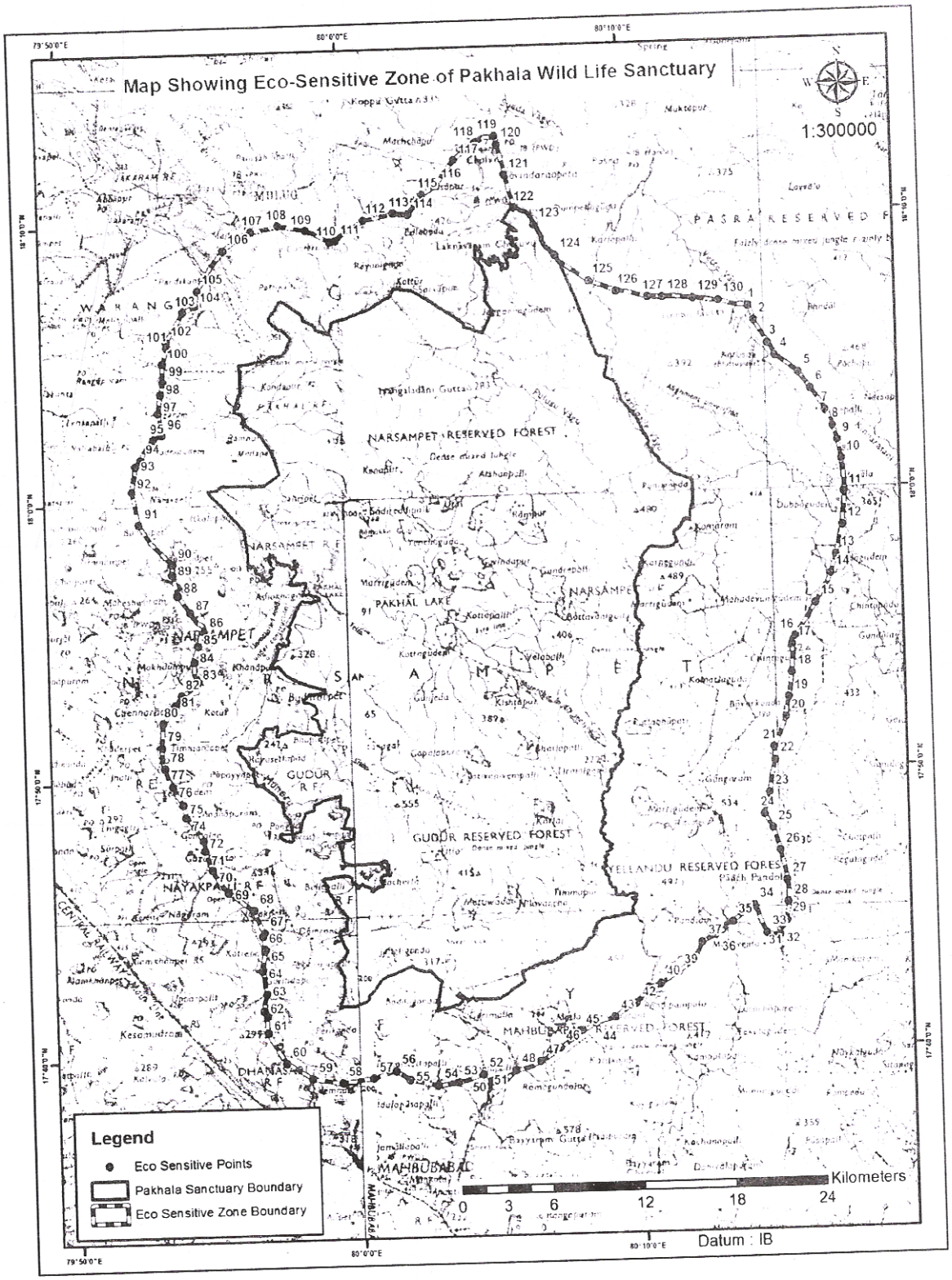

...Annexure III

ID	Longitude	latitude	ID	Longitude	latitude	ID	Longitude	Latitude
1	80.24124	18.10985	55	80.02838	17.65190	97	79.89000	18.05548
2	80.24424	18.10102	56	80.02008	17.65746	98	79.89158	18.06634
3	80.25219	18.08743	57	80.00684	17.65323	99	79.89353	18.07340
4	80.25625	18.08002	58	79.98831	17.65093	100	79.89335	18.08470
5	80.26984	18.06925	59	79.97066	17.65393	101	79.89617	18.09440
6	80.27672	18.05963	60	79.95583	17.66364	102	79.89582	18.09767
7	80.28519	18.04675	61	79.94524	17.68217	103	79.90623	18.11514
8	80.28961	18.03704	62	79.94312	17.69532	104	79.91312	18.11867
9	80.29208	18.02830	63	79.94489	17.70574	105	79.91488	18.12750
10	80.29420	18.01701	64	79.94277	17.71950	106	79.93077	18.15124
11	80.29525	17.99680	65	79.94454	17.73212	107	79.94736	18.16218
12	80.29384	17.97703	66	79.94348	17.73989	108	79.96342	18.16536
13	80.28943	17.95946	67	79.94436	17.74219	109	79.97984	18.16201
14	80.28590	17.94817	68	79.93854	17.75560	110	79.99378	18.15442
15	80.27637	17.93114	69	79.92406	17.76646	111	79.99714	18.15512
16	80.26366	17.91154	70	79.91488	17.78005	112	80.01443	18.16730
17	80.26172	17.90651	71	79.91082	17.79170	113	80.03208	18.17092
18	80.26119	17.88957	72	79.91012	17.79779	114	80.04109	18.16986
19	80.25889	17.87492	73	79.90553	17.80626	115	80.04956	18.18169
20	80.25695	17.86309	74	79.90006	17.81191	116	80.05856	18.18716
21	80.24936	17.84527	75	79.89900	17.81950	117	80.06933	18.20207
22	80.24972	17.83732	76	79.89264	17.83079	118	80.08221	18.21213
23	80.24601	17.81808	77	79.88858	17.84165	119	80.09386	18.21602
24	80.24248	17.80511	78	79.88858	17.84165	120	80.09492	18.21090
25	80.24742	17.79681	79	79.88717	17.85453	121	80.09898	18.19219
26	80.25148	17.78314	80	79.88841	17.86901	122	80.10427	18.17224
27	80.25483	17.76522	81	79.89582	17.87968	123	80.11275	18.15953
28	80.25536	17.75225	82	79.89970	17.88551	124	80.12546	18.14197
29	80.25413	17.74183	83	79.90888	17.89222	125	80.14734	18.12732
30	80.25148	17.74148	84	79.90747	17.90545	126	80.16323	18.12062
31	80.25095	17.73830	85	79.90976	17.91507	127	80.18176	18.11673
32	80.24989	17.73318	86	79.91347	17.92372	128	80.19059	18.11638
33	80.24213	17.73424	87	79.90571	17.93520	129	80.20859	18.11532
34	80.23489	17.75083	88	79.89900	17.94543	130	80.22359	18.11355

35	80.22200	17.74183	89	79.89582	17.95788			
36	80.21177	17.73407	90	79.89600	17.96405			
49	80.08451	17.65049	91	79.87711	17.98832			
50	80.07709	17.64978	92	79.87340	18.00809			
51	80.07462	17.64590	93	79.87588	18.02380			
52	80.07233	17.65402	94	79.87888	18.02760			
53	80.05715	17.64978	95	79.88682	18.03978			
54	80.04532	17.64820	96	79.89194	18.04225			

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
5. Details may be attached as Annexure.
6. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
8. Details may be attached as separate Annexure.
9. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
10. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.